

प्रेषक,

डॉ. प्रतिमा

सचिव—सह—अपर मिशन निदेशक

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

सभी जिला पदाधिकारी

सभी सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी

पटना, दिनांक— ०९/०१/२०२१

विषय:— बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली के अंतर्गत दर्ज कराए गए अपील आवेदनों की सुनवाई एवं निष्पादन के संबंध में ।

महाशय,

राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों एवं सेवांत लाभों की स्वीकृति एवं भुगतान से संबंधित शिकायतों की सुनवाई एवं निराकरण के लिए बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली का कार्यान्वयन 'सेवा समाधान' (<http://sevasamadhan.bihar.gov.in>) पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है ।

2— बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त शिकायत आवेदनों एवं अपील आवेदनों का सुनवाई उपरांत नियमानुसार निष्पादन शिकायत/अपील आवेदन की प्राप्ति के 60 कार्य दिवसों के अंतर्गत किया जाना प्रावधानित है । दिनांक—24.12.2020 तक इस प्रणाली के अधीन प्राप्त शिकायत आवेदनों के निस्तार के प्रतिवेदन (छाया प्रति संलग्न) से यह ज्ञात होता है कि कुछ जिलों एवं विभागों के सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष बड़ी संख्या में शिकायत आवेदन processing के लिए लंबित हैं ।

3— सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी के पारित निर्णयों के विरुद्ध दायर अपील के मामलों के भी कुछ विभागों एवं जिलों में 60 कार्य दिवस से अधिक अवधि से लंबित होने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ।

4— अनुरोध है कि इस प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त शिकायत एवं अपील आवेदनों का नियत समय सीमा में सुनवाई करते हुए नियमानुसार निष्पादन करने की कृपा की जाए ।

अनु.—यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(डॉ. प्रतिमा)

सचिव—सह—अपर मिशन निदेशक